न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 83 / 2024

अनवान : –

1. रमेश पुत्र प्रेमाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. मीरा पुत्री प्रेमाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री प्रेमाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर / फेफाना तहसील नोहर।
5. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जीवन नगर सिरसा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 19/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल व तरतीवी प्रतिवादीगण विवादित भूमि में मुताबिक हक हिस्सा मुश्तरका ही काश्त करते व रकम राज अदा करते चले आ रहे है। सायल के पिता प्रेमाराम फोत हो चुके है जिसके जायज वारिसान सायल व गैरसायल संख्या 1 ता 2 एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 व विद्या देवी पत्नी प्रेमाराम हुए जिसमें से विद्या देवी जरिये दस्तबरदारी हक त्याग कर दिया है।

सायल के पिता के फोत होने के बाद वादी की माता विद्या देवी ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2022 को परित्याग कर चुकी है जिसका इन्तकाल संख्या 3518 दिनांक 18.12.2022 को स्वीकृत हो चुका है इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है तस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह खातेदार ब० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2022 द्वारा विद्या देवी पत्नी प्रेमाराम का हक व हिस्सा [illegible] अब वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबर[illegible] प्रतिवादी न. 1 ता 2 को कोई हक हकूक हासिल नही हुआ है बल्कि वादग्रस्त भूमि से विद्या देवी पत्नी प्रेमा[illegible] हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ता 2 व तरतीवी प्रतिवादीगण 6 ता 8 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है लेकिन गैरसायल संख्या 1 ता 2 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकूक हासिल नहीं हुए है। उक्त दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2022 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर सायल विवादित भूमि में अपने व तरतीवी प्रतिवादी नं. 6 ता 8 एवं गैरसायल संख्या 1 ता 2 के साथ ब० हि० ब० हिस्सा की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

गैरसायल संख्या 1 ता 2 ने अपनी माता विद्या देवी पत्नी प्रेमाराम से दिनांक 07. 07.2022 को गलत दस्तबरदारी अपने नाम करवा ली है उक्त गलत दस्तबरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद जरिये इन्तकाल नं. 3518 दर्ज करवा लिया तथा हक से ज्यादा भूमि उक्त दस्बरदारी के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाकर उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भूमि को रहन, बय एवं मुन्तकिल करने की सरेआम धमकी देते है यदि गैरसायल नं. 1 ता 2 उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल व तरतीवी प्रतिवादीगण 6 ता 8 को भारी नुकशान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से संभव नहीं है इसलिए सायल गैरसायल नं. 1 ता 2 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 540/216 की कुल 2.4160 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वादी की माता विद्या देवी ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा था वह जरिये दस्तबदारी दिनांक 07.07.2022 को परित्याग कर चुकी है जिसका इन्तकाल संख्या 3518 दिनांक 18.12.2022 को स्वीकृत हो चूका है पूर्णतय स्वीकार है बाकि तथ्य अस्वीकार है। विद्यादेवी के द्वारा अपनी पुत्री सुमन व गैरसायल संख्या 1 व 2 अपनी पुत्रियों के पक्ष में दस्तबदारी दिनांक 07.07.2022 को करवायी है जिसका इन्तकाल संख्या 3518 दिनांक 18.12.2022 को मीरा पुत्री प्रेमाराम व सुमन पुत्री प्रेमाराम के पक्ष में स्वीकृत हो चूका है। दस्तबदारी हकत्याग एक प्रकार का दान है। विद्यादेवी को अपनी पुत्रियों के पक्ष में पूर्णरूप से अपना हक व हिस्सा स्थानान्तरण करने का पूर्ण अधिकार था। विद्यादेवी ने अपनी मनमर्जी से पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा अपना हक व हिस्सा अपनी पुत्री मीरा व सुमन को दस्तबदार किया है। पंजीकृत दस्तबदारी दिनांक 07.07.2022 कानूनी दस्तावेज है। पंजीकृत दस्तावेज को सिविल न्यायालय में ही शुन्य व प्रभाव[illegible]वाही की जा सकती है। पंजीकृत दस्तावेज के बाबत् आपति सुन[illegible]कार नही है। बिनाय दावा गलत बनाया गया है। अतः ज[illegible]कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि सायल के पिता के फोत होने के बाद वादी की माता विद्या देवी ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2022 को परित्याग कर चुकी है जिसका इन्तकाल संख्या 3518 दिनांक 18.12.2022 को स्वीकृत हो चुका है इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है तस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह खातेदार ब० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2022 द्वारा विद्या देवी पत्नी प्रेमाराम का हक व हिस्सा समाप्त हो गया तथा अब वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी दिनांक 07.07.2022 से प्रतिवादी नं. 1 ता 2 को कोई हक हकूक हासिल नही हुआ है बल्कि वादग्रस्त भूमि से विद्या देवी पत्नी प्रेमाराम का हक व हिस्सा समाप्त हो गया है एवं सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ता 2 व तरतीवी प्रतिवादीगण 6 ता 8 के पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है लेकिन गैरसायल संख्या 1 ता 2 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकूक हासिल नहीं हुए है अप्रार्थी का कथन है कि दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है एवं कोई भी खातेदार अपना हक व हिस्सा किसी के भी पक्ष में तर्क करने हेतु स्वतंत्र है पत्रावली में प्रस्ततु दस्तावेजों के मुताबिक वादी का माता विधा द्वारा वादी को छोड़कर गैरसयल स0 1 ता 2 क पक्ष में किया गया है गैरसायल संख्या 1 ता 2 के पक्ष मे विधा द्वारा की गई दस्तबरदारी सही या गलत का निर्धारण मूल वा दमे तय होना है जो की न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत विचाराधीन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्याया[illegible] भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्ष[illegible]मि मे हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा औ[illegible]पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण 1 ता 2 विवादित अराजी का काश्तकार है अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम भूमि विधा से जरिये दस्बरदारी प्राप्त हुई है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 540/216 की कुल 2.4160 हैक्ट भूमि में में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 19/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested